न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

नर्मदा प्रसाद शर्मा तनय जमना प्रसाद शर्मा ,

साकिन अंधियारा बगीचा , गॉधी वार्ड हटा तह0 हटा जिला दमोह

...........आवेदक

विरूद्व

1— देवेन्द्र कुमार चौरसिया तनय नर्मदा चौरसिया

2— अशोक कुमार तनय नर्मदा चौरसिया ,

3— महेश कुमार तनय नर्मदा चौरसिया

4— संजय कुमार तनय नर्मदा चौरसिया

5— उजयारी बहु बेबा नमैदा चौरसिया

सभी निबासी आजाद वार्ड हटा तह0 हटा जिला दमोह म0 प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:—

1 यह कि आवेदक द्वारा यह निगरानी माननीय न्यायालय में आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा द्वारा प्र0क्र0 279/अ—6/2007—08 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 27/08/2012 से परिवेदित होकर कर रहा है जिसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के संलग्न है।

2 यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विबरण इस प्रकार है कि रिस्पॉ0 क्र0 एक द्वारा एक आवेदनपत्र अधिनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार महोदय हटा के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ख0नं0 268/1 रकवा 0.561 खसरा नं0 268/5 रकवा 0.604हे0 एवं खसरा नं0 268/6 रकवा 0.608 हे0 मौजा हटा स्थित भूमि के मौका एवं अभिलेख में भिन्नता है अतः सुधारा किया जावे। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा रा0 नि0 से प्रतिवेदन मॅगवाकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर , संहिता की धारा 107 में कलेक्टर महोदय को प्रदत्त शक्तियॉ अपने हाथ में लेकर , प्रभावित व्यक्तियों को साक्ष्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4240/दो/2012 जिला–दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26.12.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 279/अ–6/2007–09 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक हटा द्वारा दिनांक 28.11.2001 को तहसीलदार हटा के न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम हटा खास स्थित भूमि खसरा नम्बर 268 के खसरे में 21 बटाक हो चुके है। खसरा नम्बर 268/1 से लगायत 268/21 तक नक्शा में सुधार किया जाना है। खसरा नम्बर 268/1 रकवा 0.561 है0, खसरा नम्बर 268/5 रकवा 0.604 है0, खसरा नम्बर 268/6 रकवा 0.608 था, जिसकी सीमाएं नक्शा में मौका कब्जा अनुसार भिन्नता है, जिसके नक्शा में सुधार किया जाना है। तहसीलदार हटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2002 पारित किया गया, तहसीलदार हटा के इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 28.09.2007 को स्वीकार कर, प्रकरण तहसीलदार हटा को पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध देवेन्द्र चौरसिया द्वारा अपर कलेक्टर, दमोह के न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसमें आदेश दिनांक 30.06.08 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध नर्मदा प्रसाद द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जो	

आदेश दिनांक 27.08.2012 से निरस्त की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि संहिता की धारा 107 में नक्शा सुधार का एकमात्र अधिकार कलेक्टर न्यायालय को है। इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो अधिकारितारहित है। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना, आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अनुविभागीय अधिकारी हटा द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित किया था क्योंकि उनके द्वारा प्रकरण को विधिवत सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया था। ऐसी स्थिति में जो आदेश अपर कलेक्टर एवं कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित किये गये है, वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि वर्तमान प्रकरण में कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा विधिवत विचार करने के पश्चात जो आदेश पारित किया है। वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया। अतः में वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5– उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों सूक्ष्य अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार हटा द्वारा आदेश दिनांक 05.01.2002 पारित किया है। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी, हटा को 5 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया था और ना ही

उन्हें सुनवाई का अवसर ही दिया गया। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त आदेश को निरस्त किया है। कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार हटा द्वारा आदेश दिनांक 05.01.2002 पारित किया गया था, जिसमें खसरा नम्बर 268/1 रकवा 0.561 है0, 268/5 रकवा 0.604 है0 एवं 286/6 रकवा 0.608 है0 के पृथक–पृथक बंटाक नम्बर एवं चिन्हित करने एवं नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित किया है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में खसरा नम्बर 268/1 दीपचन्द्र पुत्र हौरीशंकर काछी एवं खसरा नम्बर 268/5 लीलाधर नाबालिग पिता कोमल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। खसरा नम्बर 268/5 में से कुछ भूमि विक्रय नर्मदा प्रसाद शर्मा को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से किया गया है। तहसीलदार हटा द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर के समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी नहीं किये गये और उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा नक्श दुरूस्ती का आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पारित किया है। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा पुनः प्रकरण तहसीलदार को सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। जबकि तहसील न्यायालय को नक्शा दुरूस्ती का अधिकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी आदेश किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा आदेश दिनांक 27.08.2012 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य